

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/HSRP-04/2018, परि०.....

पटना, दिनांक-.....

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पेटिशन (सी०)-510/2005, एम० एस० बिट्टा बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक-08.12.2011 को पारित न्यायादेश एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 के आलोक में बिहार राज्य में उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (HSRP) लगाये जाने हेतु M/S Utsav Safety System Pvt. Ltd. in Consortium with Link Point Infrastructure Pvt. Ltd. से दिनांक-31.05.2012 को परिवहन विभाग एवं M/S Utsav Safety System Pvt. Ltd. in Consortium with Link Point Infrastructure Pvt. Ltd. से समझौता किया गया है।

उपर्युक्त समझौता के प्रावधानों में HSRP के लगाये जाने हेतु वाहनों के प्रकार के आधार पर दर निर्धारित किया गया है एवं उपरोक्त समझौता के आलोक में इस उपर्युक्त दर का पुर्ननिर्धारण प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाना प्रावधानित है, जिसके आलोक में विभिन्न प्रकार के वाहनों में उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (HSRP) लगाये जाने की दर का पुर्ननिर्धारण किया जाना है।

उपर्युक्त मामले की समीक्षोपरांत एवं विभाग से हुए समझौते के आलोक में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए HSRP की दर निम्न प्रकार से पुर्ननिर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहनों का प्रकार	पूर्व निर्धारित दर	वर्तमान दर
1	Two Wheelers	₹ 131.00	₹ 139.00
2	Three Wheelers and Invalid Carriage	₹ 162.00	₹ 172.00
3	Light Motor Vehicles/ Passenger cars	₹ 335.00	₹ 355.00
4	Medium/Heavy Motor Vehicles/ Trailer/Combination	₹ 310.00	₹ 328.00
5	Agriculture Tractor/ Combination of Power Trailer	₹ 140.00	₹ 148.00

- उपर्युक्त दर पर वेंडर की स्वीकोरोक्ति प्राप्त है।
- उपर्युक्त दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(आदेश तितरमारे)

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/HSRP-04/2018

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- M/S Utsav Safety System Pvt. Ltd. in Consortium with Link Point Infrastructure Pvt. Ltd. को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/HSRP-04/2018

3379

पटना, दिनांक- 21/5/18

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.05.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/H SRP-04/2018, परि०.....

पटना, दिनांक-.....

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पेटिशन (सी०)-510/2005, एम० एस० बिट्टा बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक-08.12.2011 को पारित न्यायादेश एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-50 के आलोक में बिहार राज्य में उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (HSRP) लगाये जाने हेतु M/S Utsav Safety System Pvt. Ltd. in Consortium with Link Point Infrastructure Pvt. Ltd. से दिनांक-31.05.2012 को परिवहन विभाग एवं M/S Utsav Safety System Pvt. Ltd. in Consortium with Link Point Infrastructure Pvt. Ltd. से समझौता किया गया है।

उपर्युक्त समझौता के प्रावधानों में HSRP के लगाये जाने हेतु वाहनों के प्रकार के आधार पर दर निर्धारित किया गया है एवं उपरोक्त समझौता के आलोक में इस उपर्युक्त दर का पुर्ननिर्धारण प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाना प्रावधानित है, जिसके आलोक में विभिन्न प्रकार के वाहनों में उच्च सुरक्षा निबंधन पट्टिका (HSRP) लगाये जाने की दर का पुर्ननिर्धारण किया जाना है।

उपर्युक्त मामले की समीक्षोपरांत एवं विभाग से हुए समझौते के आलोक में विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए HSRP की दर निम्न प्रकार से पुर्ननिर्धारित किया जाता है :-

क्रम सं०	वाहनों का प्रकार	पूर्व निर्धारित दर	वर्तमान दर
1	Two Wheelers	₹ 131.00	₹ 139.00
2	Three Wheelers and Invalid Carriage	₹ 162.00	₹ 172.00
3	Light Motor Vehicles/ Passenger cars	₹ 335.00	₹ 355.00
4	Medium/Heavy Motor Vehicles/ Trailer/Combination	₹ 310.00	₹ 328.00
5	Agriculture Tractor/ Combination of Power Trailer	₹ 140.00	₹ 148.00

2. उपर्युक्त दर पर वेंडर की स्वीकोरोक्ति प्राप्त है।

3. उपर्युक्त दर अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(आदेश तितरमारे)

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/H SRP-04/2018

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- M/S Utsav Safety System Pvt. Ltd. in Consortium with Link Point Infrastructure Pvt. Ltd. को सूचना एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/H SRP-04/2018

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 02/H SRP-04/2018

3379

पटना, दिनांक- 21/5/18

प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/18.05.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।